भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2155

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक

2155. **श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः**

श्री मनीश तिवारीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वैश्विक पासपोर्ट गतिशीलता रैंकिंग में भारत के स्थान में गिरावट और भारतीय पासपोर्ट–धारकों के लिए उपलब्ध वीजा–मुक्त गंतव्यों की अपेक्षाकृत सीमित संख्या को दर्शाने वाली रिपोर्टों का संज्ञान लिया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उन देशों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनके साथ भारत ने वीजा–मुक्त, आगमन पर वीजा या अन्य यात्रा सुविधा समझौते किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने वीजा ओवर–स्टे की चिंताओं, पासपोर्ट सुरक्षा, आव्रजन प्रक्रियाओं और द्विपक्षीय राजनयिक जुड़ाव सहित भारतीय पासपोर्ट–धारकों की वैश्विक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) भारतीय नागरिकों के लिए वीजा–मुक्त यात्रा के अवसरों का विस्तार करने, पासपोर्ट सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को मजबूत करने तथा विदेशी देशों के साथ अतिरिक्त गतिशीलता और यात्रा सुविधा समझौतों पर बातचीत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग और यात्रा सुविधाओं में काफी सुधार करना है और यदि हाँ, तो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रणनीति, लक्ष्य और समय–सीमा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.) सरकार कुछ ऐसी रेटिंगों से अवगत है जो कुछ निजी संस्थानों द्वारा उनके द्वारा एकतरफा तय किए गए मानकों के आधार पर प्रकाशित की जाती हैं। पासपोर्ट को रैंक करने के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य मानदंडों के अभाव में, वैश्विक स्तर पर पासपोर्ट के लिए रैंकिंग प्रणाली नहीं है जिसे मानक के रूप में स्वीकार किया जा सके। भारत सरकार वीजा मुक्त यात्रा, वीजा–ऑन–अराइवल और ई–वीजा सुविधाओं के माध्यम से दुनिया भर में भारतीय नागरिकों की यात्रा आसान बनाने के लिए अन्य देशों के साथ निरंतर प्रयास कर रही है। इस दिशा में, आज की तिथि तक, 27 देश वीजा मुक्त प्रवेश प्रदान करते हैं, 47 देश वीजा–ऑन–अराइवल सुविधा प्रदान करते हैं और 66 देश

भारतीय पासपोर्ट धारकों को ई–वीजा सुविधा प्रदान करते हैं। विवरण विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: https://www.mea.gov.in/VFFIN.htm।

वीजा जारी करना किसी देश का संप्रभु मामला है और वीजा मुक्त प्रवेश/वीजा–ऑन–अराइवल सुविधा द्विपक्षीय संबंधों के साथ–साथ पारस्परिकता के सिद्धांत सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अन्य देशों से वीजा नीतियों पर नियमित बातचीत करती है, जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा को आसान बनाना है, जिसमें वीजा मुक्त यात्रा के अवसर, आवाजाही और यात्रा सुविधा, वीजा ओवरस्टे संबंधी चिंताएं, पासपोर्ट सुरक्षा और आव्रजन प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से, जैसे कि कोंसली बातचीत के साथ–साथ आधिकारिक और उच्च–स्तरीय दौरे करके किया जाता है।

भारत सरकार ने भारतीय पासपोर्ट को नवीनतम अंतरराष्ट्रीय दिशा–निर्देशों के साथ संरेखित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक यात्रा दस्तावेजों पर अद्यतन सुरक्षा सुविधाएँ अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करती हैं।
